

**न्यायालय — सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला—बालाघाट (म.प्र.)**

आप.प्र.क.क.मांक—630/2012  
संस्थित दिनांक—03/08/2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी,  
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

**विरुद्ध**

गंगासिंह पिता फुलेन्द्रसिंह, उम्र—28 वर्ष,  
निवासी—गढ़ी, थाना गढ़ी,  
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियुक्त**

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक—30/09/2014 को घोषित)**

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 (दो बार) के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—14.07.2012 को समय सुबह 5:00 बजे ग्राम झबलीटोला व कोयलीखापा पुलिया के पास थाना गढ़ी जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन पिकअप क्रमांक—एम.पी.20/जी.ए.5636 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए उक्त वाहन को पलटाकर उसमें बैठे आहतगण गोंडूदास, मदनलाल को साधारण उपहति कारित किया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—14.07.2012 को समय सुबह के 5:00 बजे स्थान ग्राम छबलीटोला व कोयलीखापा पुलिया के पास वाहन पिकअप क्रमांक—एम.पी.20/जी.ए.5636 को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए पलटा दिया, जिसमें बैठे गोलूदास व मदनलाल को अंदरूनी चोटे आयी थी। आहत मदनलाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—40/2012, धारा—279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस द्वारा आहतगण का मुलाहिजा करवाया गया था। पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337(दो बार) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म

अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-14.07.2012 को समय सुबह 5:00 बजे ग्राम झबलीटोला व कोयलीखापा पुलिया के पास थाना गढ़ी जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन पिकअप क्रमांक-एम.पी.20/जी.ए.5636 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर पलटा दिया, जिससे आहत गोंडूदास व मदनलाल को साधारण उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5- मदनलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह घटना के समय पिकअप वाहन से जबलपुर से लौट रहा था, उस समय वाहन कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम, क्योंकि उस समय वह सो रहा था। परसामऊ के पास अचानक वाहन असंतुलित होकर वाहन पलट गया, जिससे उसे मस्तक पर चोट आयी थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना गढ़ी में लिखायी थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल में हुआ था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी गंगासिंह उक्त वाहन चला रहा था और उसके साथ आहत गोंडूदास भी वाहन में बैठा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि पिकअप वाहन को आरोपी ने घटना स्थल पर तेज रफतार व लापरवाही पूर्वक चलाकर पलटा दिया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 एवं रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में आरोपी के द्वारा तेज रफतार व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाये जाने के तथ्य को बताये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने उसके समक्ष जप्ती कार्यवाही प्रदर्श पी-2 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय बारिश हुई थी, जिसके कारण वाहन असंतुलित हो गया था, यदि वाहन में किसी यांत्रिकी खराबी होने के कारण दुर्घटना हुई हो तो वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं आहत एवं फरियादी के रूप में घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होते हुए उसके पुलिस कथन एवं रिपोर्ट के अनुरूप कथन नहीं किया गया है। साक्षी ने आरोपी के द्वारा घटना के समय कथित वाहन को तेज रफतार व लापरवाही पूर्वक चलाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है।

6- आहत गोंडूदास (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि घटना के समय वह परसामऊ से पिकअप वाहन में बैठकर गढ़ी जा रहा था, उस समय वाहन कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा क्योंकि वह पीछे बैठा था। पिकअप वाहन पलटने से उसे दायाँ हाथ एवं मस्तिष्क पर चोट आयी थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है

कि आरोपी ने उक्त वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर पलटा दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय बारिश हो रही थी और उसकी वजह से वाहन फिसल गया था और पलट गया था, जिसमें किसी की गलती नहीं थी। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी के द्वारा घटना के समय कथित वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है।

7— डाक्टर आर.के.चतुर्वेदी (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि उसने घटना के समय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में आहत गोंडूदास एवं मदनलाल की चोटों का परीक्षण किया था। उक्त आहतगण को साधारण चोटे कारित हुई थी। आहतगण का एक्सरे कराये जाने पर रिपोर्ट में अस्थिभंग होना नहीं पाया गया था। इस प्रकार साक्षी ने घटना के समय आहतगण को साधारण उपहति कारित होने की पुष्टि की है।

8— अनुसंधानकर्ता राजकुमार हिरकने (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-14.07.2012 को पुलिस थाना गढी में प्रधान आरक्षक गश्ती के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रं.-40/12, धारा 279, 337 भा.द.वि. एवं 184 मो.व्ही.एक्ट की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसके द्वारा साक्षी अजय बहरे के निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा साक्षी तरुण पाटिल, अशोक के समक्ष एक फोर्स कम्पनी का पिकअप वाहन क्रमांक-एम.पी.20/जी.ए.5636 क्षतिग्रस्त हालत में जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-12 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसके द्वारा दिनांक-16.07.2012 को प्रार्थी मदनलाल गोंडाने, साक्षी गोंडूदास के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक-25.07.2012 को आरोपी गंगासिंह ठाकुर से वाहन क्रमांक-एम.पी.20/जी.ए.5636 के रजिस्ट्रेशन व बीमा के दस्तावेज एवं आरोपी का ड्रायविंग लायसेंस जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-13 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही के संबंध में सम्पुष्टि कारक साक्ष्य पेश कर अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया है।

9— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी अजय (अ.सा.2) ने उसके सामने पुलिस के द्वारा घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-4 बनाये जाने की पुष्टि की है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त नक्शा पूर्व से ही बना था, जिस पर उसने हस्ताक्षर कर किया था।

10— अभियोजन की ओर से मात्र आहत मदनलाल (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी की पहचान दुर्घटना कारित वाहन चालक के रूप में पक्ष विरोधी घोषित किये जाने के पश्चात् किया है, किन्तु साक्षी ने आरोपी द्वारा घटना के समय कथित वाहन

को तेज रफतार व लापरवाही पूर्वक चलाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। अन्य आहत गोंडूदास (अ.सा.3) ने भी अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना के समय कथित वाहन को तेज रफतार व लापरवाही पूर्वक चलाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। उक्त साक्षीगण के अलावा अभियोजन ने अन्य चक्षुदर्शी साक्षी को पेश नहीं किया है। इस प्रकार मामले में उक्त महत्वपूर्ण साक्षीगण ने आरोपी द्वारा घटना के समय कथित वाहन को तेज रफतार व लापरवाही पूर्वक चलाने से स्पष्ट रूप से इंकार किये जाने से यह प्रमाणित नहीं होता कि घटना के समय आरोपी ने उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया या उसके फलस्वरूप आहतगण को चोट पहुंचायी। इस प्रकार आरोपित अपराध के संबंध में आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य का अभाव है। मामले में प्रस्तुत मात्र समर्थनकारी साक्ष्य से अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

11— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर वाहन पिकअप क्रमांक—एम.पी.20/जी.ए.5636 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए उक्त वाहन को पलटाकर उसमें बैठे आहतगण गोंडूदास, मदनलाल को साधारण उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 (दो बार) के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

12— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किया जाता है।

13— प्रकरण में जप्तशुदा पिकअप क्रमांक—एम.पी.20/जी.ए.5636 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार मदनलाल पिता भाऊदास निवासी गढ़ी जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट